



2026:AHC:175433

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7576 वर्ष

2026

मो. अयूब

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : गुंजन यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., रवि साहू

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री गुंजन यादव, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि साहू और राज्य की ओर से विद्वान एजीए के तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 115/2026 (पुलिस थाना- भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात) में बीएनएस की धाराओं 142, 61(2), 87, 351(3) के तहत अग्रिम जमानत पाने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। 30.03.2026 की प्राथमिकी में आवेदक का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। प्राथमिकी सह-आरोपी मो. आमिर के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो आवेदक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



का चचेरा भाई है। प्राथमिकी में आरोप है कि पीड़िता सह-आरोपी मो. आमिर की धमकी के कारण 30.03.2026 की सुबह घर से चली गई थी। विवेचना के दौरान पीड़िता का पता नहीं चल सका, इसलिए सह-आरोपी मो. आमिर के परिवार वालों पर दबाव बनाने के लिए, शिकायतकर्ता ने 13 दिन बाद 12.04.2026 को एक आवेदन दिया। यह आवेदन अनुश्रुत साक्ष्य के आधार पर दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि आवेदक भी कथित अपराध में शामिल था। 12.04.2026 की आवेदन में जानकारी के किसी स्रोत या किसी व्यक्ति/साक्षी का नाम नहीं बताया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता अपनी मर्जी से घर से गई थी और उसके भागने या अपहरण में आवेदक की कोई भूमिका नहीं है। वाद दैनिकी में 47 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज शामिल किया गया है, जिसमें पीड़िता को ई-रिक्शा में अकेले जाते हुए देखा गया। मौजूदा आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है। शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 21 से 23 में आवेदक के खिलाफ तीन मामलों के आपराधिक इतिहास का विवरण दिया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की आवेदन का विरोध किया है। यह भी कहा गया है कि पीड़िता अभी तक बरामद नहीं हुई है और पीड़िता के अपहरण में आवेदक की मुख्य भूमिका थी। जैसे ही शिकायतकर्ता को कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता के बारे में पता चला, उसने 12.04.2026 को एक आवेदन दाखिल किया। आवेदक ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ आपराधिक साज़िश रची और उसे पीड़िता तथा सह-अभियुक्त मो. आमिर के ठिकाने की पूरी जानकारी है।

5. मैंने दोनों पक्षों के तर्क सुने हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने, जैसे साक्षियों को डराना-धमकाने की संभावना, और न्याय से भागने, जैसे देश छोड़कर भागना आदि की संभावना पर विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी



कहा गया है कि अग्रिम ज़मानत दी जाए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदन देने वाले की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ज़मानत देना है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

7. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2022) 1 उच्चतम न्यायालय वाद 676** प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक आदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हिरासत में लेकर पूछताछ करना ज़रूरी हो, या अपराध बहुत गंभीर हो, या साक्षियों को प्रभावित करने या आरोपी के भागने की संभावना हो। सिर्फ इसलिए कि गिरफ्तारी करना विधिक रूप से सही है, इसका मतलब यह नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति होने और उस शक्ति का इस्तेमाल करने के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। अगर गिरफ्तारी को एक सामान्य प्रक्रिया बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। अगर विवेचनाधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और आरोपी ने वास्तव में विवेचना में पूरा सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है।

8. आवेदन देने वाले का नाम 30.3.2026 की प्राथमिकी में नहीं है, जो केवल सह-आरोपी मो. आमिर के खिलाफ दर्ज की गई थी। कथित घटना के 13 दिन बाद, उस पर एक अस्पष्ट आरोप लगाया गया कि वह भी कथित अपराध में शामिल था। 12.04.2026 की आवेदन में जानकारी के किसी स्रोत या साक्षी का नाम नहीं बताया गया है। चार महीने से ज़्यादा समय से विवेचना चल रही है, फिर भी एजीए आवेदन देने वाले की इस प्रकरण में भूमिका के बारे में कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सके। जब पीड़िता ई-रिक्शा में अकेली जा रही थी, तब सीसीटीवी फुटेज में आवेदन देने वाला व्यक्ति नहीं दिखा था।

9. अग्रिम ज़मानत से जुड़े विधि के स्थापित सिद्धांतों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, आवेदन देने वाले की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, यह माना जाता है कि अग्रिम ज़मानत के लिए प्रकरण बनता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. इसलिए, अग्रिम ज़मानत की आवेदन को इन निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

- (i) अगर आवेदन देने वाले- **मोहम्मद अयूब**, जो इस प्रकरण में शामिल है को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उसे संबंधित पुलिस थाने के थानाध्यक्ष या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू देने होंगे।
- (ii) आवेदन देने वाला विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी का सहयोग करेगा और विवेचना के मकसद से ज़रूरत पड़ने पर विवेचनाधिकारी के सामने पेश होगा;
- (iii) आवेदन देने वाला प्रकरण के तथ्यों से वाकिफ़ किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्य बताने से रोका जा सके; और
- (iv) आवेदन देने वाला न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा।

11. किसी भी शर्त का पालन न करने या उसका गलत इस्तेमाल करने पर, लोक अभियोजक/विवेचनाधिकारी/शिकायतकर्ता को यह अधिकार है कि वे आवेदन देने वाले को दी गई अग्रिम ज़मानत निरस्त करने के लिए संबंधित न्यायालय में उचित आवेदन दाखिल कर सकें।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

19 अगस्त, 2026

ए.पी. पाण्डेय